

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ४३

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २४ दिसम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६० ६
विदेशमें ६० ८; शि० १४

राज्य-संविधान और अीश्वर

दक्षिण भारतसे अेक भाओने अमेरिकाके 'मनस' पत्रको लिखकर यह विनती की थी कि भारतके संविधानमें 'अीश्वर' का अधिकृत स्थान मान्य किये जानेकी अनकी मांगका समर्थन किया जाय। 'मनस' के संपादक अिस पत्रकी लंबी चर्चा करके अन्तमें कहते हैं कि हम अिसका समर्थन नहीं कर सकते; भारतके संविधानमें अैसी बात दाखिल करना गलत होगा। अिस 'अीश्वर' को अैसी अधिकृत मान्यताकी आवश्यकता हो वह अीश्वर ही कैसा? — अैसा ताना भी अुन्होंने मारा है।

संपादकने सच बात कही है। संविधानके बजाय प्रत्येक भारतवासी अपने मनमें अीश्वरको अधिकृत स्थान दे तो सच्चा लाभ होगा। और यही बात सच भी है। भगवान अन्तर-यामी हैं, संविधान-यामी नहीं। और संविधानको जो भगवान चाहिये वे हैं सत्यपरायण, शान्तिपरायण और न्यायपरायण लोकसेवक। अैसे सेवक पैदा करनेके लिये धर्मभीरुता और निष्ठापूर्ण नीति-परायणताकी जरूरत है। अिसके लिये अीश्वरके अस्तित्वकी मान्यता अनिवार्य नहीं मानी जा सकती। हां, किसी साकार रूप, अवतार या दैवी शक्तिकी कल्पनाको अीश्वर कहें तो दूसरी बात है। परंतु वह अीश्वर नहीं है। अीश्वर तो 'अव्यक्त' है—'अव्यक्तोऽहम्'। परंतु आज हमारी दीन दशा 'व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः' (गीता ७, २४) जैसी है। अज्ञान लोग अैसा मानते हैं मानो अीश्वर व्यक्त हो—अमुक रूप या व्यक्तित्व रखता हो। संविधानमें अीश्वरको रखनेसे अैसी अबुद्धि ही सिद्ध होगी।

तब क्या अमेरिका या दूसरे देशोंके संविधानमें आया हुआ 'अीश्वर' शब्द गलत है? क्या अुसी तरह भारतके संविधानमें भी वह शब्द नहीं रखा जा सकता? शायद अैसी ही अिच्छासे दक्षिण भारतके पत्रलेखकने यह बात लिखी हो। अैसा भाव अुनके मनमें पैदा होना अस्वाभाविक नहीं है। परंतु भारतकी अेक दूसरी कठिनायी है।

अेक प्रकारसे देखा जाय तो दूसरे देशोंके धर्म पुरुषविशेष और ग्रन्थपूजक हैं। जैसे, अीसाजी, अिस्लाम या बौद्ध धर्म। अिस देशमें सब अेक ही धर्मके लोग हों वहां अुनके धर्मकी बातें या दृष्टि संविधानमें रखी जा सकती है। परंतु भारतकी स्थिति अिससे भिन्न है।

भारत अनेक धर्मों, अनेक भाषाओं तथा अनेक जातियोंवाले अेक छोटेसे विश्व-कुटुम्ब जैसा है। अिसमें किसी अेक धर्मकी मान्यताको राज्यारूढ़ नहीं किया जा सकता। यदि अैसा कहा जाय कि बहुमतका धर्म हिन्दू धर्म है अिसलिये अुसे माना जाय, तो यह बात भी गलत होगी। धर्म जैसी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत वस्तुके साथ अिस विचारका मेल नहीं बैठता। दूसरी बात यह

है कि हिन्दू धर्म ग्रन्थपूजक या पुरुषविशेष नहीं है। वह तो अनुभूतिमूलक धर्म है। अुसमें चार्वाकवाद जैसे निरीश्वरवादका भी स्थान है। और बौद्ध तथा जैनधर्म तो निरीश्वरवादी ही हैं। मैं अुन्हें विशाल हिन्दू धर्मके वटवृक्षकी ही शाखायें मानता हूं। सिक्ख धर्मको भी मैं अैसा ही समझता हूं, हालांकि वह अीश्वरवादी है।

अिसलिये भारतके संविधानमें अीश्वर शब्द रखनेसे बहुत लाभ नहीं होगा। बल्कि वैसा करनेमें कुछ अनीश्वरता होनेकी संभावना है! क्योंकि धार्मिक मान्यताके विषयमें किसी प्रकारकी राजनीतिक सत्ता या जबरदस्ती या अुसकी गंध भी आवे तो वह अधार्मिकता अथवा अनीश्वरता अुत्पन्न करेगी।

'मनस' के संपादक अुपरोक्त पत्रकी चर्चा करते हुअे अेक दूसरा मुद्दा यह खड़ा करते हैं कि यदि प्रजामें धर्मका तत्त्व अथवा परम सत्यकी शोधकी भावना सिद्ध करनेकी अुत्कंठा या प्रेरणा न रहे तो वह अच्छी बात नहीं है।

प्रजा सदा सत्याभिमुख और परमार्थलक्षी रहे यह जरूरी है। अच्छी प्रजाभावनाके लिये यह अेक सामाजिक गुण है। अिसी अर्थमें हम भारतकी प्रजाके विषयमें कहते हैं कि धर्म अुसका प्राण है, आदि आदि। पत्रलेखक यदि अिस भावनाकी रक्षाकी चिन्ता करते हों तो अुसमें तथ्य है अैसा माना जायगा। अैसी ही किसी चिन्तामें से यह बात जन्म लेती है कि बालकोंकी शिक्षामें नीतिधर्मका विषय रहना चाहिये। हम जानते हैं कि भारतके संविधानमें अिस संबंधमें कुछ धारायें हैं। कहा जा सकता है कि अुनके पीछे भारतकी प्रजाकी अिस सांस्कृतिक विशेषताका विचार ही मूल कारण था।

यह प्रश्न अेक नया महत्त्वपूर्ण विचार पैदा करता है। परंतु संविधानमें 'अीश्वर' शब्द रखनेसे यह प्रश्न हल नहीं होगा। नीतिधर्मके अुद्भवके लिये अीश्वरके अस्तित्वकी मान्यता आवश्यक या अनिवार्य है, अैसा अेक विचार है जरूर। परंतु बृद्ध, साक्रेटीज, महावीर जैसे अनेक महापुरुषोंका जीवन अिस विचारको आत्यंतिक सत्यके रूपमें माननेसे अिनकार करता है। यह सच है कि अैसे पुरुषोंको अेक विशेष परम जीवन या व्यापक तत्त्वकी प्राप्तिकी लगन होती है, जिसे अुनका अीश्वर कहा जा सकता है। परंतु रूढ़ अर्थमें अुसे 'अीश्वर' नहीं माना जा सकता। प्रत्येक मनुष्यमें रहे शैतान या मारको जीतनेके लिये परम दर्शनकी आवश्यकता है; गीताकारके शब्दोंमें 'परं दृष्ट्वा निवर्तते' (गीता २, ५९) — किसी प्रकारके अुच्च दर्शन और अुसे प्राप्त करनेके प्रयत्नके बल पर ही मार, शैतान, षड्रिपु या वासनायें (जो भी कहें सब अेक ही है) जीती जाती हैं। अीश्वरभक्त अीश्वरको परम मान कर अपना सर्वस्व अुसे अर्पण करके ही मार-विजय करते हैं।

मतलब यह कि जिस दूसरे विचारके कारण भी संविधानमें 'श्रीशिवर' शब्द रखना जरूरी नहीं है। भारतमें लोग 'असुर' सिर पर रखकर' आचरण करनेकी आदत अदालतोंसे डालते हैं; असुरके बदले यदि श्रीशिवरको हृदयमें रखें तो ज्यादा अच्छा हो। भगवानका स्थान हमारा हृदय-मंदिर है और वह हमारे जीवनमें प्रकट होता है। सच्चे हिन्दू धर्मके सिद्धान्तके अनुसार यही ठीक है। श्रीसाजी, अइस्लाम वगैरा धर्मोंको माननेवाले देशोंकी तरह भारत श्रीशिवरको संविधानरूढ़ बनानेका विचार नहीं कर सकता, क्योंकि असुरने अपनी धर्म-संस्कृति और साधना आदिका विकास प्राचीन कालसे विकसित होते आ रहे अपने लोकजीवनके अनुरूप किया है। श्रीशिवरकी आराधना राज्य, प्रजा और भारतके सब धर्मोंके नागरिक अपने-अपने स्थानसे करें, तो ही अव्यक्त श्रीशिवर भारतके राज्यमें अपने सच्चे सिंहासन पर विराजमान होगा।

१३-११-५५

मगनभाई देसाई

(गुजरातीसे)

बोधगयाका समन्वय आश्रम

[ता० १३-९-५५ को श्री विनोदाने अकंबा पडाव (कोरा-पुट, अत्कल) पर आश्रमके बारेमें जो विचार प्रकट किये वे नीचे दिये जाते हैं।]

बिहार छोड़नेके पहले हमें लगा कि वहां पर सेवाका कोअी अंतजाम होना चाहिये जिससे भूदानके काममें मदद हो। और दूसरा असा भी अंतजाम हो, जिससे असुर कार्यके मूल तत्त्वोंका दर्शन हो। प्रथम आवश्यकताकी पूर्ति सर्व-सेवा-संघने गयामें अपना स्थान बनाया असुरसे हुआ है। मूल विचारोंके दर्शनके लिये हमारे मनमें समन्वय आश्रमकी कल्पना आयी। वैसे बहुत दिनोंसे यह विचार चल ही रहा था, लेकिन बिहारके कामसे असुरको चालना मिली और वहांके वातावरणमें कुछ तत्त्व भी असे देखे जिसके कारण असुरकी पुष्टि हुई।

हिन्दुस्तानका कुल जीवन-विकास ही समन्वयकी पद्धतिसे हुआ है। जिस देशकी मुख्य शक्ति वही है। यहां पर जो लोग आये, चाहे आश्रयके लिये आये हों या आक्रमणके लिये, उन सबकी अच्छाईका समन्वय करनेकी कोशिश हिन्दुस्तानने की है। असुरके परिणामस्वरूप भारतकी संस्कृति अतरोत्तर विकसित होती गयी और भारतकी संस्कृतिका जो दर्शन वेदोंमें होता है, असुरका विकसित दर्शन आधुनिक कालमें होता है। वेदोंमें जो बीज रूपमें था, असुरका फल है आजका भारत धर्म। वैदिक धर्मकी तुलनामें वह बहुत ही परिपुष्ट है, अपनिषदोंकी तुलनामें भी परिपुष्ट है। धर्मका अतरोत्तर विकास होता गया है। पुराने ग्रंथ हमें आज भी धीरज देते हैं, क्योंकि उनमें मूल तत्त्व पड़े हुये हैं। परंतु आजका भारतीय विचार पुराने विचारकी तुलनामें अधिक विकसित है। जिस देशका आजका स्थितप्रज्ञ पुराने जमानेके स्थितप्रज्ञसे आगे बढ़ा हुआ है। यह सब समन्वयके कारण हुआ है। हरअककी अच्छी चीजें हमने ग्रहण कीं और बुराईयोंको हम छोड़ते गये। यह प्रक्रिया आज भी जारी रहनी चाहिये।

यहां पर मुसलमान, श्रीसाजी, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन सबकी संस्कृतियोंके कारण यहांकी संस्कृति पूर्ण हुयी और भारतमें असुरका अक रूप बना। भारतका अइस्लामका रूप दुनियाके अइस्लामसे कुछ भिन्न है। भारतका श्रीसाजी धर्म भी दुनियाके श्रीसाजी धर्मसे कअी अंशोंमें भिन्न है। मैंने पिछले साल पच्चीस दिसम्बरके व्याख्यानमें कहा था कि यहांके श्रीसाजी धर्ममें कुछ विशेषता दाखिल हुयी है और हो रही है। ब्रह्मविद्याका आधार और जीवमात्रके लिये अहिंसाका विचार ये दोनों बातें असुरमें

दाखिल हुयी हैं। जिस तरह समन्वयकी प्रक्रिया हिन्दुस्तानमें जारी रही है। हम सोच रहे थे कि जिस प्रक्रियाके अध्ययनके प्रत्यक्ष दर्शनके लिये कोअी स्थान हो और वहां पर साधक रहें, जो पुरानी साधनाकी कमियां दूर करें। बोधगया अक असा स्थान है, जहां पर दुनिया भरके लोग आते हैं, असुरलिये हम दूसरोंकी भलायी ग्रहण कर सकते हैं और हमारी भलायी उनके पास पहुंचा सकते हैं। अभी सुरेन्द्रजीने वहांसे लिखा है कि वहां पर बाहरसे जो साधु आते हैं उनको वे अउच्च स्थान पर बिठाकर असुरकी बातें सुनते हैं और कुछ अच्छी चर्चा होती है। यह सुनकर हमें अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि असुर स्थानमें सर्वोदयके जीवनका दर्शन हो। असुरका रूप चाहे छोटा ही हो, परंतु अधिकसे अधिक शुद्ध रूप प्रकट करनेकी हम कोशिश करें।

पहला सुधार ध्यानमार्गमें हम करना चाहते हैं। हिन्दुस्तानका ध्यानमार्ग बहुत ही विकसित हुआ है। असुरकी बराबरी शायद सूफी लोग कर सकते हों। लेकिन और कोअी नहीं कर सकते हैं। जहां तक हमारा ज्ञान है असुरके आधार पर हम यह कह रहे हैं। यहांके ध्यानमार्गमें ध्यानका कर्मके साथ विरोध माना गया। ध्यानयोगी अक्सर कर्मयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि असुरसे ध्यानमें बाधा आती है, असा सोचा गया। दूसरे कर्म-योगियोंकी मदद अन्हें मिलती थी और दोनों अक-दूसरेके पूरक थे। कर्मयोगी मानते थे कि हम तो ध्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करते हैं तो असुरका पोषण और रक्षण करना हमारा काम है। ध्यानयोगी समझते थे कि हम असी सेवा करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। कर्मयोग ध्यानमें बाधा देता है यह जो विचार चला आ रहा है असुरमें कुछ कमी है। और असुरमें सुधार होना चाहिये असा हमें लगा। कर्म छोड़ते हुये जिस तरह समाधिकी लब्धि हो जाती है, वैसे कर्म करते-करते भी होनी चाहिये। असुरका हमने कुछ अनुभव भी किया है। आज तक ध्यानके लिये अक स्थान पर बैठना और बहुतसी क्रियाओंका त्याग करना आवश्यक माना गया था। प्राथमिक अवस्थामें असुरकी कुछ जरूरत हो सकती है। परंतु ध्यान-प्रक्रियाका अत्कर्ष असुरसे नहीं होता है। अत्कर्ष तो तब होता है, जब अखंड क्रिया चल रही हो परंतु असुरका क्रियापन मालूम नहीं होता हो। जैसे हमारा श्वासोच्छ्वास चलता है तो असुर क्रियासे हमें कोअी बाधा नहीं मालूम होती है, बल्कि अगर वह समतलव्युक्त चलता है तो असुरसे मदद ही मिलती है, असी तरह शरीर-परिश्रमात्मक शोषणरहित अत्पादक क्रिया ध्यानके साथ-साथ चल सकती है। असुरसे ध्यानमें कोअी खलल पहुंचनेका कारण नहीं। हमें लगा कि जिस दिशामें ध्यानयोगकी कोशिश होनी चाहिये। तो अभी तक जो ध्यानयोग चला असुरकी असुरसे पूर्ति होगी।

दूसरा विचार यह है कि अखंड परिव्राजक वर्गके बिना समाजमें ज्ञान बहता रहना संभव नहीं और साधककी आसक्ति भी असुरके बिना सर्वथा नहीं मिलेगी। असुरलिये समाज-कल्याणकी योजनामें परिव्रज्या अनिवार्य दिखती है। जैन, बौद्ध, शंकर, रामानुज, आदि संप्रदायवालोंने परिव्राजक वर्ग खड़ा करनेके जो प्रयोग किये वे बहुत महत्त्वके हैं। क्योंकि सैकड़ों सालों तक ये प्रयोग चले, उनको वेग मिलता गया और असुरका प्रभाव जनता पर, राज-सत्ता पर, साहित्य और कला पर—जीवनके हर क्षेत्र पर वर्षों तक रहा है। भारतकी समृद्धिका बहुत बड़ा श्रेय अन्हेंको है। परंतु जिन प्रयोगोंमें कुछ कमियां थीं। पहली कमी यह थी कि वे परिश्रमनिष्ठ नहीं थे। वैसे वे चंक्रमण तो करते थे, आलसी नहीं रहते थे। वे यहां तक कहते थे कि भगवानने रात ध्यानके लिये दी है और दिन ज्ञानप्रचारके लिये दिया है।

यानी आरामके लिये कोअी समय ही नहीं दिया। फिर भी जब तक मनुष्य खाता है, तब तक उसे उत्पादक परिश्रममें हिस्सा लेना चाहिये, चाहे प्रतीकके तौर पर ही क्यों न हो। प्राचीन परिव्राजक भी भोजनको यज्ञस्वरूप ही समझते थे। फिर भी जो खाता है उसे उत्पादक ब्रह्मक्रियामें हिस्सा लेना चाहिये यह बात असुसमें नहीं थी। जिस कमीको हम दूर करना चाहते हैं। वे भिक्षा पर निर्भर करते थे। हम भी भिक्षा पर ही रहते हैं और भिक्षासे ही हमारा निस्तार होगा, यह हम जानते हैं। हम भिक्षाको पावन मानते हैं। वे लोग भिक्षाके साथ साथ सेवा भी करते थे, जिसलिये उन्हें भिक्षाका हक था। वे तो महान थे। परंतु भिक्षाके साथ साथ उत्पादक शरीर-परिश्रमकी निष्ठाको अकेले के तौर पर, नियमके तौर पर, नहीं मानना चाहिये। जैसे सत्य, अहिंसा आदि अव्वल दर्जेकी चीजें हैं वैसे ही उत्पादक शरीर-परिश्रममें निष्ठा भी होनी चाहिये। जिस दृष्टिसे हम असुसको हमारी परिव्राज्यामें दाखिल करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि उत्पादक श्रम ब्रह्मकर्म है और वह 'सर्वेषामविरोधेन' होता है। हमसे जो कुछ शोषण होता है, असुसे मुक्ति जिस ब्रह्मकर्मके जरिये मिलती है।

तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वह कुछ नयी नहीं है। पहली दो बातें तो हमें हमारे चित्तसे मिली हैं। परंतु यह बात विज्ञानके युगने पैदा की है। जिसका अगर कुछ श्रेय किसीको देना है तो गांधीजीको देना होगा। वह बात यह है कि साधना सामूहिक तौर पर होनी चाहिये। यानी पंद्रह-बीस मनुष्योंको अिकट्टा होकर साधना करनी चाहिये, जितना ही असुसका अर्थ नहीं है। बल्कि असुसका अर्थ यह है कि समूह-जीवन ही जीवन है। व्यक्तिका जीवन जितने अर्थमें समाजका हिस्सा है, अतने अर्थमें ही वह जीवन है असा माना जायेगा। समाजसे अलग जीवन हो नहीं सकता है। अच्छी हालतमें समाजसे अलग जीवनका मतलब मुक्ति होगा और खराब हालतमें असुसका अर्थ मृत्यु होगा। परंतु जो समाजसे अलग है, असुसमें जीवन नहीं है। जीवन तो सामाजिक ही है। हमारा शरीर भी अकेले समाज है जिसलिये असुसमें जीवन है। असुसमें से नाक, कान, आंखें आदि चीजोंको अलग किया जाय तो असुसमें जीवन नहीं रहेगा। जिसलिये हमारा हरअके सद्गुण सामाजिक होना चाहिये। समाज ही जीवन है और हम असुसमें जितने अंशमें हिस्सा लेते हैं अतने अंशमें हमें जीवनका अनुभव आता है। जिसलिये हमारा हरअके सद्गुण सामाजिक होना चाहिये। अब वैराग्यकी बात लीजिये। वह अचित्त है या अनुचित्त है, कितनी मात्रामें अचित्त है और कितनी मात्रामें अनुचित्त है, अिन चारों प्रश्नोंका उत्तर कुल समाजके लिये सोचकर दिया जायगा। समाजके लिये क्या जरूरी है, वह सोचा जायगा। समाजके लिये जितनी मात्रामें वह जरूरी है असुसे अधिक मात्रामें अगर किसीमें वैराग्य है तो या तो वह अकांगी विशेषज्ञ है या असुसमें विकृति है। जिस तरह सब गुणोंके बारेमें सामूहिक दृष्टिसे सोचना होगा और हमारी कुल साधना सामाजिक होनी चाहिये। ये तीन बातें हमारी आज तककी संस्कृतिमें प्रकट होनी चाहिये। अब असुसके लिये हमें जो काम करने होंगे असुसकी कअी शाखायें हैं।

हमने समन्वय आश्रमके लिये बोधगयाका क्षेत्र चुना असुसमें अकेले दृष्टि है। हम चाहते हैं कि वहां पर पांच छः प्रकारके काम हों: (१) बोधगयाके आसपासके क्षेत्रमें ही चोरी हो तो हम असफल हैं असा कहना होगा। हमारे समाजकी जो कमियां हैं वे आसपासके क्षेत्रसे निकल जानी चाहिये। हम अपना क्षेत्र बहुत बड़ा न मानें, छोटा ही मानें। दीपक छोटा ही हो तो छोटेसे क्षेत्रमें अंधकार मिट जाता है, लेकिन दीपकसे यह अपेक्षा की जाती है कि असुसके अर्द्ध-गर्द्ध अंधकार न रहे। वैसे ही हमारे

आसपासके लोगोंकी सेवा गुणविकासके खयालसे हमें करनी चाहिये। (२) वहां पर जो साधक रहेंगे वे अतिरिक्त नहीं, समत्वयुक्त हों लेकिन अपना जीवन शरीर-परिश्रम पर आधारित रखें। दानमें जो पैसा मिलेगा असुसका अुपयोग साधकोंके जीवनके लिये न हो। असुसका जीवन उत्पादक परिश्रमसे ही चले और किसीसे दान लेना है तो वह भी परिश्रमका ही लेना होगा। वहां पर जो मकान आदि बनाने हैं असुसके लिये हम उत्पादक परिश्रमके ही दानका आग्रह नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदर्श परिस्थितिमें काम नहीं कर रहे हैं। (३) हमारी संस्कृतिकी अकेले कमी है—वह आधुनिक संस्कृतिकी कमी है, प्राचीन संस्कृतिकी नहीं—कि हम लोगोंमें यद्यपि व्यक्तिगत स्वच्छताका कुछ भान है तो भी सामूहिक स्वच्छताका भान कम है। जिसलिये हम चाहते हैं कि बोधगयाका क्षेत्र अत्यंत स्वच्छ-निर्मल रहे। अगर यह काम होगा तो बाहरसे जो लोग आयेंगे असुसको वहां पर स्वच्छताका दर्शन होगा। असुसकी यात्रा सफल होगी, हमसे असुसकी कुछ सेवा होगी और हमारी सारी दृष्टि साक्षात् असुसके अनुभवमें आयेंगी। शरीर-परिश्रमके समान शरीर-स्वच्छताको भी हमें नित्य-यज्ञ मानना चाहिये। (४) वहां पर विदेशोंसे लोग आते हैं तो असुसके साथ विचारोंका आदान-प्रदान हो, कुछ सत्संग हो। असुसके साथ आतिथ्य भी हो। जिसमें हम बीमारकी सेवाको जोड़ सकते हैं। (५) हम चाहते हैं कि बिहारमें जो कार्यकर्ता हैं असुसके लिये बोधगया अकेले विरामस्थान हो। वहां आकर उन्हें कुछ विरति प्राप्त हो, मनके लिये कुछ शांति मिले। वैसे वे अकेले-दो घंटे परिश्रम कर लेंगे, लेकिन असुस स्थानका अुपयोग असुसको मानसिक शांति हासिल करनेमें करना चाहिये।

मैंने सर्व-सेवा-संघवालोंसे यह भी कहा है कि समन्वय आश्रममें सर्वोदयका अकेले नित्य प्रदर्शन हो, जिसमें कताअी, वुनाअी, ग्रामोद्योग आदिका कुछ दर्शन मिल सके।

विनोबा

तेलघानी और तेलमिल

अकेले शिक्षक लिखते हैं:

“आप ग्रामोद्योगोंकी हिमायत करते हैं न? जिस समय लुणावाड़ा स्टेशन पर अकेले नअी तेलमिल खड़ी की जा रही है। सारे लुणावाड़ा तालुकमें अैसी तेलमिल नहीं होगी। . . . असा कितना ही काम आज चल रहा है, जो ग्रामोद्योगोंको तोड़नेवाला और राज्यको नुकसान पहुंचानेवाला है।”

यह सच है कि 'हरिजन' खादी और ग्रामोद्योगोंकी हिमायत करता है। लेकिन लिखनेसे जो काम होता है, असुसकी हमेशा सीमा रहती है। अन्तिम बल तो लोकबल ही है।

नअी तेलमिलका खुलना यह बताता है कि मिल खोलकर नफा कमानेकी अिच्छा रखनेवाले धनीवर्गको अभी यह आशा है कि असुसका तेल लोगोंमें बिक सकेगा। यह आशा नष्ट हो जाय तो कोअी मिल न खोले।

और तेलमिल न खुले तो लोगोंको तेल नहीं मिलेगा, असा हो तो तेलघानियां चलनी चाहिये और असुसका तेल जनतामें बिकना चाहिये। यह पत्र लोगोंको यह जरूर समझाना चाहता है कि घानीका तेल अच्छा, स्वास्थ्यप्रद और प्रजाको सच्चा आर्थिक लाभ पहुंचानेवाला है। यह समझकर अगर लोग तेलघानीको बढ़ावा दें, तो तेलमिल खोलनेकी कोअी हिम्मत ही नहीं करेंगे।

५-१२-५५

(गुजरातीसे)

म० प्र०

हरिजनसेवक

२४ दिसम्बर

१९५५

यंत्रोद्योगों और हाथ-अद्योगोंके बीच होड़

सब कोजी जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजनामें खादी और ग्रामोद्योगोंको स्थान प्राप्त हुआ है। वह काम अब आगे बढ़ रहा है। उस योजनामें जिस कामकी कैसे व्यवस्था की जाय, जिसका तफसीलवार विचार करके अंक संपूर्ण योजना पेश करनेके लिये योजना-कमीशन द्वारा नियुक्त की हुयी कर्वे-समितिकी रिपोर्ट अब प्रकाशित हो गयी है।

जिस समितिका कार्य यह था :

“गृह-अद्योगों तथा छोटे पैमानेके अद्योगोंके लिये योजनाकी रूपरेखाके मसौदेमें की गयी व्यवस्थाको और अर्थ-शास्त्रियोंकी समिति द्वारा पेश किये गये निवेदनमें की गयी सिफारिशोंको ध्यानमें रखकर अद्योगवार और संभव हो वहां राज्यवार दूसरी पंचवर्षीय योजनाके अंक अविभाज्य अंगके रूपमें जिन अद्योगोंके विकासके लिये निर्धारित की गयी साधन-सामग्रीके सम्बन्धमें योजना तैयार करना।

“समितिके खास तौर पर नीचेके अद्देश्य ध्यानमें रख कर अपनी योजना तैयार करनेको कहा गया था :

(१) योजना-कालमें जिनकी साधारण तौर पर मांग रहती है अंसी रोजाना अपुयोगकी चीजोंके बड़े हुये अत्पादनका बड़ा हिस्सा गृह-अद्योगों और छोटे पैमानेके अद्योगोंको पूरा करना चाहिये।

(२) जिन अद्योगोंमें दिये जानेवाले काम-घन्धेमें दिनोंदिन वृद्धि होती रहनी चाहिये। और,

(३) जिन अद्योगोंमें मालका अत्पादन तथा बिक्री मुख्यतः सहकारी पद्धतिके होनी चाहिये।”

जिसके अनुसार जांच करके कर्वे-समितिके अ० भा० खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अपने सामने पेश की गयी योजनाका अधिकांशमें समर्थन किया है, जिसके लिये वह हमारे धन्यवादकी पात्र है। उसने लगभग २५०-३०० करोड़ रुपयेके कामोंकी अंक विस्तृत योजना केन्द्रीय सरकारके योजना-कमीशनको सौंपी है। अंसा करके जिस समितिके सचमुच देशकी सच्ची सेवा की है।

लगभग ४,८०० करोड़के विकास-कार्योंके बड़े बजटमें अपरकी रकम कोजी बड़ी नहीं मानी जायगी। परन्तु ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धार और स्थापनाका यह कार्य केवल रुपये खर्च करनेका नहीं है। यह कार्य तो आम लोगोंमें जाकर अन्हें जाग्रत करके — अुनका आलस्य और प्रमाद दूर करके — अन्हें राष्ट्रके पोषक कामोंकी दिशामें मोड़नेका है। योजना-कमीशन भी जिस बातको समझता है। जिसलिये असे जिस बातका डर भी है कि वह किस हद तक यह कार्य करनेमें सफल होगा। फिर भी राष्ट्रकी स्वतंत्र जनताके बारेमें तो अंसी अश्रद्धा कैसे रखी जा सकती है? योजना-कमीशनको, सरकारको और खास करके अुसके नौकरोंको जिस डर, शंका या अश्रद्धाको दूर रखकर अपना काम करना होगा। तभी भारतमें हम जो आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक समानता तथा न्यायका स्तर फैला हुआ देखना चाहते हैं, अुसका मार्ग सरल बनेगा।

अंसा कहा जा सकता है कि कर्वे-समितिके जिस भावी क्रान्तिका आरंभ करनेका कार्य किया है। जिसके लिये अुसने विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्थाका सिद्धान्त स्वीकार किया है। लेकिन आजकी परिस्थितियोंमें अुसकी भी अंक खास मर्यादा तो है ही, जिसके बाहर वह नहीं जा सकती।

अुसे जन्म देनेवाले योजना-कमीशनकी जो मर्यादा है, वही मर्यादा अुसकी भी मानी जायगी। कमीशनने खादी और ग्रामोद्योगोंके विकासके बारेमें अंक विशेष मर्यादित दृष्टि और रवैया रखा है। फिर भी अुसने स्पष्ट शब्दोंमें यह स्वीकार नहीं किया है कि देशकी आर्थिक पुनर्रचनामें अुनका अंक खास अनिवार्य और बुनियादी स्थान है और वह बढ़ता रहेगा। दुनियामें यह अंक नये ही प्रकारका विचार है, जिसलिये जिसके पीछे कुछ हद तक प्रयोगकी दृष्टि रहती है। शायद जिसलिये सरकार जिस दिशामें सावधान रह कर काम कर रही है। फिर भी यह याद रखना चाहिये कि जिस कामसे सम्बन्धित नीतिके अंक-दो मुद्दे तो पहली पंचवर्षीय योजनाके समयसे ही स्वीकार कर लिये गये हैं। कर्वे-समितिकी रिपोर्टको समझनेके लिये यह बात ध्यानमें रखना जरूरी है।

पहली पंचवर्षीय योजनाके नीचेके सिद्धान्त स्वीकार किये थे :

“बड़े पैमानेके तथा छोटे पैमानेके अद्योगोंके लिये समन्वित अत्पादनके कार्यक्रमके सिद्धान्तकी स्वीकृति पहली पंचवर्षीय योजनाका अंक महत्त्वका लक्षण था। अुस योजनामें की गयी सिफारिशोंमें से अंक सिफारिश यह थी कि कार्य-क्षमता बढ़ानेके लिये टेकनिकल सुधार, शोध और दूसरे कदमोंके सिवा आर्थिक नीतिका मुख्य ध्येय अंसा क्षेत्र मुहैया करनेका होना चाहिये जिसमें प्रत्येक गृह-अद्योग अपना संगठन कर सके, तथा बड़े पैमानेके अद्योग और गृह-अद्योगोंके बीच जहां होड़ पैदा हो वहां समन्वित अत्पादनका कार्यक्रम तैयार करनेका होना चाहिये। समन्वित अत्पादनके कार्यक्रमकी कुछ बातें ये हो सकती हैं: (क) अत्पादनके क्षेत्र सुरक्षित रखना, (ख) बड़े पैमानेके अद्योगोंके अत्पादनकी गुंजाबिशको बढ़ने न देना, (ग) बड़े पैमानेके अद्योगों पर ‘सेस’ लगाना, (घ) कच्चा माल मुहैया करनेकी व्यवस्था, और (ङ) शोध तथा तालीम वगैराका प्रबन्ध करना।”

परन्तु जिन सिद्धान्तोंके आधार पर अुसने कोजी विस्तृत विचार नहीं किया था। तथा योजनाके आरंभके तीनेक बरस बाद अंक खादी-ग्रामोद्योग बोर्डकी स्थापनाके सिवा अन्य कोजी कदम अुठया नहीं गया था। यहां में यह बात हरगिज नहीं सुझाना चाहता कि बोर्डकी स्थापनाका कदम कम महत्त्वका था। बल्कि सच पूछा जाय तो योजना-कमीशनके जिस कदमने छोटे माने जानेवाले जिन ग्रामोद्योगों और गृह-अद्योगोंका गौरव देशके सामने स्पष्ट करनेमें बड़ी मदद की है। अुसीकी वजहसे आज कर्वे-समितिका जन्म हो सका और अब यह आशा बंधने लगी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजनामें जिन अद्योगोंका काम आगे बढ़ेगा।

जिस दिशामें आगे बढ़नेमें जो मुख्य अुलझन खड़ी हुयी है वह यही है कि ग्रामोद्योगोंके साथ बड़े पैमानेके यंत्रोद्योगोंका मेल कैसे बैठाया जाय। जिस काममें बड़े अद्योगोंके मालिकोंके स्थापित स्वार्थ रूकावट डालते हैं। जैसा कि हमने अपूर देखा, यह अुलझन दूर करनेके लिये पहली पंचवर्षीय योजनाके अपनी नीतिके दो मुद्दे स्पष्ट किये थे :

१. जिन दो क्षेत्रोंको अत्पादनका काम बांट दिया जाय।

२. नये बढ़नेवाले यंत्रोद्योगों पर नियंत्रण रखा जाय। अुनकी मर्यादा आज जितनी है अुतनी ही मानी जाय।

जिस सम्बन्धमें केन्द्रीय सरकारकी ही अंक समितिके योजना-कमीशनको अंक विशेष सिफारिश की है, जिससे आगेका तीसरा मुद्दा खड़ा हुआ है। यह मुद्दा नया नहीं है, बल्कि अपूरके दो मुद्दोंके गर्भमें ही मौजूद था। अुस मुद्दोंको हम देखें।

पाठक जानते हैं कि कुछ समय पहले चावलकी हाथ-कुटाई समितिके अपनी जांच की थी। अुसने अपनी रिपोर्ट सरकारके सामने

पेश कर दी है। उसमें समितिने एक यह क्रान्तिकारी सिफारिश की है कि हाथ-कुटाओका काम आज लोग अधिकतर अपने घरोंमें करते हैं; उसमें यंत्रोंका हमला अभी शुरू ही हुआ है। उनका काम अभी बहुत बढ़ा नहीं है। इसलिये हाथ-कुटाओी बुद्योग द्वारा बेकारी दूर करनी हो तो यंत्रोंको आसानीसे इस बुद्योगके क्षेत्रसे हटाया जा सकता है। अतः हाथ-कुटाओी समितिने यह सिफारिश की है कि राष्ट्र थोड़ा भी ध्यान दे तो चावल-कुटाओीके यंत्रोद्योगका अन्त किया जा सकता है। इसमें बहुत खर्चका भी सवाल नहीं है। और उससे बेकारी दूर करने तथा जनताको स्वास्थ्यप्रद अन्न देनेका बड़ा लाभ होगा।

समितिकी सिफारिश एक बड़े व्यापक सिद्धान्तके आधार पर की गयी है। वह यह कि यंत्रोद्योगोंका क्षेत्र जनताके कपड़े, खानपान और मकानके बुद्योगोंके क्षेत्रसे बाहर रहना चाहिये। ये जरूरतें पूरी करनेवाले बुद्योग गांवोंमें फैली हुयी हमारी विशाल जनताके लिये सुरक्षित रखें जायं, ताकि उनकी बेकारीका प्रश्न स्थायी रूपमें हल हो। अलबत्ता, आर्थिक और औजारोंकी दृष्टिसे इन बुद्योगोंकी अन्नति हो इसके लिये धन और विज्ञानकी सहायता अब उन्हें मिलनी चाहिये। ऐसा करनेसे देशमें बेकार पड़ी हुयी अपार श्रमशक्तिका अन्न बुद्योगोंमें अपुयोग होगा और जनताके हाथ-बुद्योगोंका माल अच्छा और सस्ता होगा तथा मात्रामें बढ़ेगा। आज उनकी जो अपेक्षा की जा रही है उसे दूर करके हमारे अन्न सच्चे राष्ट्रीय बुद्योगोंकी ओर सरकारको ध्यान देना चाहिये और उन पर पैसा खर्च करना चाहिये।

देशकी आर्थिक पुनर्रचनाके इस व्यापक सिद्धान्तके आधार पर चला जाय तो जैसे-जैसे जनता ग्रामोद्योगोंको अपनाती जाय और उनका विकास करती जाय, वैसे-वैसे अचित्त क्रमका विचार करके यंत्रोद्योगोंके मालिकोंको कपड़ा, तेल, दूध-धी तथा अन्य खाद्यपदार्थोंके कारखाने बन्द करते जाना चाहिये।

कर्वे-समितिको इस मूल प्रश्न पर विचार करनेकी जरूरत इसलिये हुयी कि हाथ-कुटाओी समितिकी रिपोर्ट तथा उसके आधार पर की गयी खादी-ग्रामोद्योग बोर्डकी सिफारिशके बारेमें विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करनेकी जिम्मेदारी उसे सौंपी गयी थी। इस विषयमें इस बातसे आश्चर्य होता है कि कर्वे-समितिके हाथ-कुटाओी समितिके प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। इसमें असल गलती तो यह होती है कि खादी और ग्रामोद्योगोंके मूल सिद्धान्त — विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था — का पालन नहीं होता। यह सिद्धान्त जब कर्वे-समिति स्वीकार करती है, तब तो यही कहा जायगा कि उसने बिना कारण यंत्रोद्योगोंके प्रति पक्षपात दिखाया है।

खादी और ग्रामोद्योगोंकी नीतिके इस सिद्धान्तके खिलाफ देशके बड़े बुद्योग — कपड़ा-मिलें, तेल-मिलें, शक्कर-मिलें वगैरा — जाग्रत हो गये हैं। एक बार इस नीतिको रास्ता मिला कि फिर तो आज हलर-शेल्स मिलोंकी बारी है, तो कल हमारी भी बारी आ सकती है! — कहीं यह छिपा डर तो इसके पीछे काम नहीं कर रहा है?

इस कारणसे यदि देशके सारे बुद्योगवादी हित गुप्त रूपमें संगठित मोर्चा भी बना रहे हों तो उन लोगोंको इससे कोयी आश्चर्य नहीं होगा जो पूंजीवादका युरोपीय अतिहास जानते हैं। कर्वे-समितिके हाथ-कुटाओी समितिकी निर्दोष सिफारिशको स्वीकार कर लिया होता तो अच्छा होता। आशा रखें कि केन्द्रीय सरकार यह गलती सुधार लेगी।

१५-१२-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

युनिवर्सिटी शिक्षणका स्तर

नीचे ३० नवम्बरको पी० टी० आजी० द्वारा कर्नूलसे दी गयी खबर अद्भूत की गयी है :

आन्ध्र पब्लिक सर्विस कमीशनकी १९५४-५५ की प्रशासनिक रिपोर्टमें कहा गया है कि "आन्ध्र अज्युकेशनल सर्वोर्डिनेट सर्विसमें सहायक लेक्चररकी जगहके लिये जो अुम्मीदवार आये थे, उनमें से बहुत थोड़े शुद्ध और मुहा-वरेदार अंग्रेजी बोल सके।"

रिपोर्ट आगे कहती है, "क्रियाओंके अचित्त कालोंके अपुयोगमें भी आन्ध्र युनिवर्सिटी विभागसे आये हुये लगभग सारे अुम्मीदवार अैसी सामान्य भूलें करते थे, जिनकी माध्यमिक शालान्त परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थियोंसे भी आशा नहीं रखी जाती।

"राजनीतिका विशेष विषय लेकर अितिहासमें विशिष्ट योग्यता (ऑनर्स) प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियोंकी कुछ बड़ी गलतियां ये थीं: 'फार्मोसा युरोपमें है'; 'लोकसभा भारतकी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है'; 'आन्ध्र एक अवशिष्ट (रेसीड्युअरी) राज्य है'; 'चीन और रूसके बीच लड़ायी चल रही है'; 'रीपेटिअेशन (स्वदेशमें लौटाना) का अर्थ है तटस्थ लोगोंकी देखभाल करना और तटस्थताकी रक्षा करना'; 'जिब्राल्टर अफ्रीकामें है और फ्रान्सके अधिकारमें है'; 'अेक-सेदस्य निर्वाचन-क्षेत्रका अर्थ है अैसा राजनीतिक संगठन या तंत्र, जिसमें धारासभाका एक ही गृह होगा।"

रिपोर्टमें बताया गया है कि अर्थशास्त्रके बहुतसे विद्यार्थी पंचवर्षीय योजनाके बारेमें कुछ भी नहीं जानते थे। उनमें से एक विद्यार्थिने कार्ल मार्क्सका नाम भी नहीं सुना था।

रिपोर्टमें कहा गया है कि प्राणीशास्त्रके विद्यार्थी लुओ पाश्चरके बारेमें कुछ नहीं जानते थे और कुत्तों आदिको होनेवाले जलांतक रोग (रेबीज)का अर्थ अुन्हें मालूम नहीं था। एक भौतिकशास्त्रके ऑनर्सके विद्यार्थिने अपने अुत्तरमें कहा कि माइक्रोमीटर (सूक्ष्म मापक यंत्र) एक मीटरका दस लाखवां भाग है और शरीरकी निश्चलता (अिनशिया ऑफ बांडी) का अर्थ है उसकी काम करनेकी अयोग्यता।

रिपोर्टमें कहा गया है: "लगभग सारे अुम्मीदवारोंने अपने-अपने विशेष क्षेत्रोंमें भी अपनी अयोग्यताका बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन किया। सामान्य ज्ञानके बारेमें तो उनका हाल कारकुनकी जगहके लिये अर्जी करनेवाले माध्यमिक शालान्त परीक्षा पास किये हुये अुम्मीदवारोंसे भी बुरा रहा।"

"अगर यह बात ध्यानमें रखी जाय कि अधिकतर अुम्मीदवार युनिवर्सिटीसे पढ़कर ताजे ही निकले थे, विज्ञानके अधिकतर अुम्मीदवार दो दो डिग्रियां — ऑनर्स और अेम० अेस-सी० डिग्री — रखते थे, उनमें से काफी लोग खानगी कॉलेजों और स्कूलोंमें काम करते थे और सारे अुम्मीदवार पहली या दूसरी श्रेणीमें पास हुये थे, तब तो भविष्य निश्चित रूपसे अन्धकारमय लगता है। लेक्चररकी जगहोंके लिये चुने जानेवाले एक भी अुम्मीदवारने अैसी छाप नहीं डाली कि वे शिक्षणके धन्धेके लिये योग्य हैं या शिक्षा-विभागके लिये किसी भी दृष्टिसे लाभदायक सिद्ध होंगे या अुच्चतर शिक्षणके ध्येयमें सहायक हो सकेंगे। इसमें शक नहीं कि चुने गये अुम्मीदवार सबमें अुत्तम हैं, लेकिन उनमें से अेकने भी असाधारण योग्यताकी छाप नहीं डाली — सभी बहुत मामूली योग्यता रखनेवाले हैं।"

मुख्य प्रश्न तो यह है कि बुच्चतर शिक्षणके स्तरके सम्बन्धमें जिस निराशाजनक स्थितिको मिटानेका अपाय क्या है? अगर शिक्षक ही अपूर बतायी गयी योग्यतावाले होंगे, तो बुनके विद्यार्थियोंसे हम क्या आशा रख सकते हैं? बेशक, जिसके लिये किसी बहुत कड़े अपायकी जरूरत है। मेरा यह सुझाव है कि आज सरकारी नौकरियोंके लिये युनिवर्सिटी डिग्रियोंको जो अंकाधिकारका महत्त्व प्राप्त हो गया है उसका जल्दीसे जल्दी अन्त करना चाहिये। जिससे बुच्चतर शिक्षणको व्यापारकी वस्तु बन जानेकी भयंकर स्थितिसे उबारनेका रास्ता खुल जायगा, जिसका आज वह शिकार बना हुआ है।

५-१२-५५

(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

आजके भारतमें भूदानका कार्य

आजादीके आठ वर्षोंने भारतको दुनियाके राष्ट्रोंमें आदर और विज्जतका स्थान दिलाया है। उसने अंक अंसे राष्ट्रकी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जो बिना किसी अपवादके दुनियाके हर देशके साथ शांतिपूर्वक रहनेके लिये अत्युक्त है। दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें भी वह दमनके शिकार बने हुये लोगोंके साथ किये जानेवाले अन्यायोंको दूर करानेके लिये शान्तिपूर्ण मार्ग ही खोजना चाहता है; और जिस हेतुकी सिद्धिके लिये उसने अपने नागरिकों पर अलौकिक नियंत्रण रखा है। जानबूझकर भड़कानेवाले कारण पैदा करनेके बावजूद, अुदाहरणके लिये पुर्तगाल और पाकिस्तानके मामलेमें, मनकी स्थितिको शांतिपूर्ण बनाये रखनेके भारतके दृढ़ प्रयत्नने दुनियाका आदरपूर्ण ध्यान उसकी ओर खींचा है। लेकिन हमारे देशके करोड़ों लोग आजादीका चमकीला प्रकाश अनुभव करें, उसके पहले हमें बहुत बड़ी मंजिल तय करनी होगी। अपने ग्रामवासी भावियोंको हमने जो वचन दिया है, उसे अभी तक हम पूरा नहीं कर पाये हैं।

हम देशकी हालत पर अंक नजर डालें। हर १० भारतीयोंमें से ७ ग्रामवासी हैं। वे ही सच्चा भारत हैं, न कि हमारे अंग्रेजी बोलनेवाले शहरी वर्ग। राजनीतिक क्षेत्रमें प्रत्येक ग्रामजनको मत देनेका अधिकार मिला हुआ है। अपनी बहुत भारी संख्याके कारण मत-पेट्टीके जरिये व्यक्त की गयी उसकी विच्छा सर्वोच्च सत्ता रखती है। लेकिन वह उसके जीवनकी वास्तविकता नहीं बन पायी है, और अगर यह सर्वसत्ताधारी भारतीय नागरिक दुनियावी चीजोंके रूपमें अपनी शक्तिका नाप निकाले तो वह जिसे अंक कानूनी कल्पना भी मान सकता है। राजनीतिक दृष्टिसे देशमें लगभग उसकी कोजी आवाज नहीं है। सामाजिक दृष्टिसे वह जाति और आपसी फूटके दलदलमें फंसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टिसे अंक ओर उसके जीवनमें आध्यात्मिक मूल्योंका स्तर नीचे गिर रहा है और दूसरी ओर शहर तथा उसके भेदे तौर-तरीकोंकी नकल करनेकी आक्रामक प्रेरणाका वह शिकार बन रहा है।

आर्थिक दृष्टिसे देखा जाय तो धन-दौलतके प्रति वह आकर्षित होता है और धनसे प्राप्त होनेवाले अश-आराम भोगनेकी विच्छा रखता है। लेकिन उसे जितना दबा दिया गया है कि वह अपना सिर अंचा नहीं अठा सकता। जिसके सिवा, आजकी आर्थिक व्यवस्था भी उसकी जरूरतोंको प्रधानता नहीं देती। वह चीजोंका अपुयोग करनेवाले मनुष्यकी जरूरतोंके बजाय चीजोंके उत्पादनको अधिक महत्त्व देती है। शहरों और गांवोंमें बढ़ रही बेकारीने गरीबी और सामाजिक भेदोंको बढ़ा दिया है। ग्रामोद्योगोंके निरन्तर हो रहे ह्रासने शहर और गांवके आर्थिक संयोजनकी समस्याको ज्यादा कठिन बना दिया है। अुदाहरणके लिये, पहली पंचवर्षीय योजनाके अंशमें लोहे और फौलादकी चीजोंके

भाव लगभग दस प्रतिशत बढ़ गये, जब कि किसानके अनाजके भाव दस प्रतिशत घट गये। जिस तरह पांच सालमें कीमतोंके ढांचेमें लगभग २० प्रतिशतका फर्क पड़ गया है।

जिसके अलावा, शारीरिक और मानसिक श्रमके बीचकी खाजी आज भी वैसी ही भयंकर है जैसी कि पहले कभी थी। जिस आदमीकी आय जितनी ज्यादा होती है, अतना ही कम शारीरिक श्रम वह करता है। हमारे अधिकतर कुशल कारीगरोंकी मजदूरी या तनखाहें किसी विजीनियर, जज, प्रोफेसर या मंत्रीसे बहुत कम हैं। समाजमें कुशलतासे किये जानेवाले शारीरिक श्रमकी प्रतिष्ठा मुंशीगिरीसे कम है।

आजादी जरूर आयी है, लेकिन पुराने स्थिर मूल्योंका, कुचल डालनेवाले स्तरोंका, आज भी वैसा ही बोलबाला है।

बिना ज्यादा सोचे-विचारे यह कहा जा सकता है कि अगर आजकी हालतमें कोजी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ग्रामवासी और बुनके साथ सारा देश भी रसातलको चला जायगा। यहां तक कि बड़ी बड़ी कुरबानियोंके बाद मिली हुयी हमारी आजादी भी खतरमें पड़ जायगी।

यह सब परिवर्तनका — मौजूदा व्यवस्थाको जड़मूलसे बदलने और नये मूल्योंकी स्थापनाका तकाजा करता है। परिवर्तनकी आवश्यकताका जितना महत्त्व है, अतना ही महत्त्व परिवर्तन करनेवाली पद्धतिका भी है। अगर यह परिवर्तन करनेके लिये अनैतिक साधनों या अशुद्ध तरीकोंका अपुयोग किया जाय, तो जो समस्यायें परिवर्तनसे हल होंगी, बुनसे कहीं ज्यादा बड़ी और कठिन समस्यायें वह पैदा कर देगा। फिर, तेज गतिवाले सामाजिक परिवर्तनके बिना केवल नैतिक साधनों पर जोर दिया जाय तो आम लोग जिस प्रयत्नकी ओर आकर्षित नहीं होंगे और वह बेकार साबित होगा।

थोड़ेमें, हमारे दृष्टिकोणमें परिवर्तन होनेके साथ जल्दीसे जल्दी सामाजिक परिवर्तनकी भी जरूरत है। यह अुद्देश्य वर्गभेद पर जोर देनेसे और वर्गोंके बीच नफरत बढ़ानेसे पूरा नहीं होगा। बहुतसे गरीब लोग मिलकर कुछ दौलतमन्दोंका आसानीसे खात्मा कर सकते हैं। लेकिन उससे वांछनीय समानता और न्यायकी स्थापना नहीं होगी। संग्रहकतसे घृणा और संग्रहका प्रेम दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। संग्रहवृत्तिको गलतीसे धन-दौलत नहीं मान लेना चाहिये। वास्तवमें अमीर वे हैं जो संग्रहकी भावनासे अपूर अुठे हुये हैं; और जो लोग संग्रहको पवित्र मानते हैं वे गरीब हैं, भले वे पैसेदार हों या न हों। दुर्भाग्यसे संग्रहकी जड़ें भारतीय जीवनमें अतनी ही गहरी जमी हुयी हैं जितनी कि जातिप्रथाकी। जातिकी तरह संग्रह या परिग्रहवृत्ति भी सामाजिक अंकताके विकास और मानव भावनाकी प्रगतिमें भारी र्कावट डालती है।

भूदान-आन्दोलन मालकियतकी बुराई पर सीधी चोट करनेका प्रयत्न है। पहली चीजको पहले लेकर उस आन्दोलनके प्रणेता आचार्य विनोबा भावेने जमीनसे जिसका आरंभ किया है। बुनका कहना है कि जिस प्रकार हवा, पानी, या आकाश पर किसीका अधिकार नहीं हो सकता, उसी तरह जमीन पर भी किसीका अधिकार नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत मालकियत खतम होनी चाहिये और जिसलिये उस पर सारे गांवका अधिकार होना चाहिये। गांवकी जमीन पर गांवकी मालकियत रहनी चाहिये और सबकी संमतसे उसका बंटवारा गांवके लोगोंमें बुनकी जरूरतके अनुसार किया जाना चाहिये। यह आसानीसे समझमें आ सकता है कि अगर जमीन बेचनेकी चीज न रह जाय, सारे गांवका उस पर अधिकार हो और सारे गांववालोंमें वह न्यायपूर्वक और सर्वसंमतिसे बांट दी जाय, तो समाजकी मौजूदा व्यवस्था जड़से हिल जायगी और नयी व्यवस्थाका मार्ग सरल बन जायगा। जिससे

सारा गांव एक परिवारमें बदल जायगा और उसके वातावरणमें कायापलट हो जायगा। आपसके औष्य-द्वेष और झगड़े या तो गांवमें ही निबटा लिये जायंगे या अंजुका अन्त आ जायगा। स्वाश्रय और परस्पर सहायताके सिद्धान्तके आधार पर गांवका जीवन चलेगा। लोग जरूरी फसलें पैदा करेंगे और खुद ही कच्चे मालका तैयार माल बना लेंगे। ग्रामोद्योग फूलें-फलेंगे और गांव बाहरके किसी भी व्यक्तिके अिशारों पर नाचनेवाला नहीं रह जायगा। आर्थिक और सामाजिक समानतायें मिट जायंगी। सब लोग एक परिवारकी तरह गांवके जीवनमें हिस्सा लेंगे और गांवके वातावरणमें पारिवारिक मूल्योंकी स्थापना हो जायगी। इस तरह ग्रामवासी अपने अधिकारोंका सच्चा अंशभोग कर सकेंगे और अपनी मरजी और रुचिके अनुसार अपना जीवन बनायेंगे। ऐसा होगा तभी सच्ची लोकशाही या जनताका राज्य कायम होगा।

स्पष्ट है कि कोअी कानून ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता। वह जमीनके टुकड़ोंको तो जोड़ सकता है, लेकिन हृदयके टुकड़ोंको नहीं जोड़ सकता। वह खेतीकी मिट्टीको तो सुधार सकता है, लेकिन दिमागकी मिट्टीको नहीं सुधार सकता। भूदान जमीनको तोड़नेवालोंका आन्दोलन नहीं है। वह जैसे निष्ठावान सेवकोंका धर्म है, जो पुराने मूल्योंकी जगह नये मूल्योंकी स्थापना करनेका, अपरिग्रहको सामाजिक गुणके रूपमें स्थापित करनेका और मानसिक तथा शारीरिक श्रमके बीचकी दीवालको तोड़नेका निश्चय कर चुके हैं।

विनोबाका आन्दोलन इसलिये सबका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता कि वह सारी बुराइयोंका रामबाण अिलाज है, बल्कि इसलिये कि वह आजके दुश्चक्रको तोड़नेके लिये ठोकी गयी पहली पच्चड़ है। वह सारे पुनर्निर्माण या सुधारका आधार है। बहुतसे राहके कदम अन्नका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ग्रामोद्योगोंको फिरसे जिला सकते और मजबूत बना सकते हैं और गांवोंमें एक तरहके जीवनका संचार भी कर सकते हैं। लेकिन वे गांवके मानसको नहीं बदल सकेंगे, जो पुराने रीति-रिवाजों और मूल्योंसे असी तरह चिपटा रहेगा। इसलिये भूदान-आन्दोलनको अमानदारीसे आजमानेकी जरूरत है।

पिछले साढ़े चार वर्षोंमें लोगोंकी ओरसे अुसका जो उत्तर मिला है, वह इस आन्दोलनके तत्त्वज्ञान और इसके दृष्टिकोणकी यथार्थताको सिद्ध करता है। अुड़ीसाके एक जिलेमें ६०० गांवोंका दान यह बताता है कि भूदानके विचारने किस गहराअी तक पहुंचकर हमारे लोगोंके हृदयको छुआ है। अुस दिन मैं बिहारके ग्रामीण क्षेत्रमें एक छोटेसे जनसमूहसे मिला था। मैंने अुसे विनोबाके 'मिशन'के पीछे रहा विचार समझाया। एक सफेद वालोंवाले लगभग ७५ वर्षके सद्गृहस्थ अपने दानके साथ आगे आये और बोले: "आपकी बात मैं समझ रहा हूं। हमारे देशमें सच्ची स्वतंत्रता स्थापित करनेका एकमात्र मार्ग भूदान ही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच्ची स्वतंत्रताकी स्थापना जब तक हमारे देशमें नहीं होती तब तक मैं मरनेसे भी अिनकार कर दूंगा।"

भारतके लाखों-करोड़ों लोग अब जाग कर आगे बढ़ रहे हैं और नये युगका अुदय होनेवाला है।*

(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभाअी

* ऑल इंडिया रेडियोके सौजन्यसे।

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

राज्य-पुनर्रचना कमीशन और हमारी

जनताकी आत्मा

हमारे धर्मग्रंथ आत्माको 'नित्य शाश्वत' कहते हैं। यही बात भारतके बारेमें भी सच है। हम वेदोंमें पढ़ते हैं: 'प्रतिगृह्णीत मानवं सुमेघसः'— हे बुद्धिमानो! व्यक्तिको और अुसकी प्रतिष्ठाको स्वीकार करो, मानव बनो और मानवदयाके गुणका अपनेमें विकास करो। अिस प्रकार भारतने मानवताके गौरवका गान सफलताके साथ गाया है। सर्वोच्च मानवतासे कम कोअी वस्तु अिस प्राचीन देशकी संस्कृतिको कभी स्वीकार नहीं हुअी है, न अैसी किसी वस्तुका हमारी संस्कृतिसे कभी मेल बैठता है। अिस देशके विद्वानों और सन्तोंने हमेशा मानवतासे भी अूंचे अुठनेकी आकांक्षा रखी और प्रयत्न किया है—मानवताके भी परे जाकर अपन सच्चे प्रेम, आदर और करुणाका क्षितिज अधिकसे अधिक व्यापक और विशाल बनानेका प्रयत्न किया है। यही कारण है कि गायको, अुदाहरणके लिये, हमारे देशमें प्यार किया जाता है, अुसका आदर और पूजा की जाती है तथा हमारी समाज-व्यवस्थामें अुसे एक निश्चित स्थान प्राप्त हुआ है।

लेकिन आज हमारे अुसी देशमें दुर्भाग्यसे विचित्र दशा दीख पड़ती है। यह दशा राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्ट और भाषा-वार राज्य-रचनाके सम्बन्धमें अुसकी सिफारिशोंके कारण हुअी है।

यहांके लोग अपनेको विशिष्ट प्रान्तवाले समझने लगे हैं। कोअी अपनेको आन्ध्र समझता है, कोअी कन्नड़ समझता है, तो कोअी बंगीय समझता है। अिस देशके लोग अपनेको 'सोऽहम्'— मैं वह हूं जो अत्यन्त व्यापक तत्त्व है— कहते थे, अुसी देशके लोग आज अपनेको जाति, वर्ग या प्रान्तमें सीमित मानते हैं। मानवतासे भी जो लोग अपनेको अधिक व्यापक समझते थे, वे भारतीयसे भी अपनेको कम समझने लगे हैं। आज यह तमाशा दीख रहा है कि राज्य-पुनर्रचना कमीशनने कुछ सिफारिशें कीं, तो एक प्रदेश खुश है और दूसरा नाखुश है। एक बातमें एकका आनन्द है और अुसी बातमें दूसरेका दुःख है। अगर अैसी योजना है तो वह सर्वोदयी योजना नहीं है।

कुल बंगाली राजी हैं (अेकाघ अपवाद हो तो मैं नहीं जानता) कि मानभूमका हिस्सा पश्चिम बंगालको मिले। यानी कुल बंगालकी एक राय है। अिसमें कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, हिन्दू-महासभावादी, जनसंघी सब डूब गये। अगर अुन लोगोंको कहीं नाराजी है तो अिस बातकी है कि हमने जितना मांगा था अुससे कम मिला। और कुल बिहार अिसलिये दुःखी है कि मानभूमका हिस्सा बंगालमें जा रहा है। अत्यन्त दयनीय दशा अिस देशकी दीख पड़ती है। आखिर तो मानभूम भारतमें ही रहनेवाला है।

यह केवल एक व्यावहारिक सवाल है, अिसमें सहूलियत देखनी है। परन्तु अिसमें संकुचित हृदय दीख पड़ता है।

मानभूमका नाम मैंने मिसालके लिये लिया है। अैसे दूसरे नाम भी ले सकता हूं, जहां देशके निवासियोंके हृदय अितने ही संकुचित बन गये हैं। अुड़ीसामें कुछ लोगोंने राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्टसे बहुत चिढ़कर अुसकी एक प्रतिको जला डाला! रिपोर्टमें भला क्या गलत था? कमीशनने कुछ सिफारिशें की थीं और कुछ सुझाव रखे थे, जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार करनेकी बात थी। यह काम सबके मिलकर सोचनेसे या पार्लमेन्ट और सरकार द्वारा ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है। लेकिन अिसके बदले अुन्होंने गुस्सेमें रिपोर्टको जलाकर खाक कर डाला। आखिर अुड़ीसाको खोना क्या था? यही कि अुनकी साधिल्ला और सरसुआकी अुड़ीसामें मिला देनेकी मांग मंजूर नहीं की गयी। रिपोर्टमें यह बताया गया था कि ये दोनों प्रदेश पूर्ववत् बिहार

राज्यमें ही रहेंगे। अगर रिपोर्टने जिससे बुलटी बात कही होती तो बिहारमें इसी तरहका शोरगुल मचाया जाता!

जिस बेल्लारी जिलेके प्रश्नको ही लीजिये, जो रिपोर्टके मुताबिक आन्ध्र राज्यका ही हिस्सा रहेगा। आन्ध्रके लोग कमीशनके जिस निर्णयसे अितने ज्यादा खुश हुए हैं, मानो सोनेका अंक ठोस बड़ा ढेर अणुकी गोदमें डाल दिया गया हो! दूसरी ओर कन्नड़ लोग जिसके कारण अत्यन्त दुःखी हैं। यह अुदाहरण भी बताता है कि अंक पक्षके हितोंका बलिदान होता है, जब कि दूसरेके हितोंकी रक्षा होती है।

अगर समाजकी रचना हितोंके संघर्षके आधार पर की जाय, तो वह रचना और संगठन दोषपूर्ण है। जिसलिये हमें समाजकी अैसी पुनर्रचना करनी होगी और अुसमें फिरसे अैसी जीवनशक्ति डालनी होगी, जिससे अेकके हित सबके हितोंके अनुकूल बन जायं। आज ज्यादा बड़े प्रान्तों या राज्योंको अपने बीच हितोंके संघर्षका सामना करना पड़ रहा है। जिससे हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिन प्रमुख और अग्रगण्य लोगोंको समाजकी पुनर्रचनाके लिये कुशल और जिम्मेदार माना गया है, वे अैसे नये समाजकी योजना पेश करनेमें असफल रहे हैं, जिसमें किसीके हितोंका दूसरोंके हितोंके साथ कोअी विरोध या संघर्ष न हो।

जिस वक्त हम इस बातको महसूस करें कि हम भारी खतरोंके बीच हैं। आज हमारे हृदय पहलेकी अूंकाअीसे गिर गये हैं, अणुकी अुदात्त भावनार्यें नष्ट हो गयी हैं और अणुके टुकड़े हो गये हैं। अेक बार फिर आन्ध्रका ही विचार कीजिये। आन्ध्र लोग विशालान्ध्रकी महत्वाकांक्षा रखते हैं और अुसके लिये आग्रह करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा देश केवल इसीलिये महान नहीं बन जायगा कि अुसका अेक या दूसरा प्रान्त भूभागमें दूसरेसे बड़ा और विशाल बन जाता है। कोअी देश महान बननेका गौरव और यश तभी प्राप्त करता है जब अुसकी प्रजाके हृदय अुदार और विशाल बन जायं। हम यह जरूर चाहते हैं कि आन्ध्र अपनी जनताकी महत्ता और अुदारतासे विशाल बनें।

जिस या अुस प्रान्तके कुछ लोग इस बातका डर रखते हैं कि अगर अणुके प्रान्तका कोअी हिस्सा पड़ोसके राज्योंमें मिला दिया गया तो अणुका शोषण होगा या अणुहें लूटा जायगा। लेकिन पिछड़े हुआओंको आगे बढ़े हुए लोगोंसे डरना नहीं चाहिये, न अज्ञान लोगोंको विद्वानोंके सामने शर्माना चाहिये। न तो कमजोरोंको ताकतवरों और बलवानोंसे डरना चाहिये और न निरक्षरोंको पढ़े-लिखोंसे डरना या घबराना चाहिये। इसके खिलाफ, अणुके दिलोंमें अिन लोगोंके लिये प्रेम और आदर होना चाहिये। दोनोंमें परस्पर प्रेम और आदरका भाव होना चाहिये। लेकिन आज तो जिससे बिलकुल अुलटा होता हम देखते हैं। क्यों? जिसका अेकमात्र कारण यह है कि जिन्हें भगवानने अधिक बुद्धि, काफी धन-दौलत, बड़ी बड़ी जमीनें, अधिक शारीरिक शक्ति वगैरा दी है, वे लोग ज्यादातर अिन सबका दुरुपयोग ही करते हैं। मनुष्यके मनका झुकाव देवी और आसुरी दोनों प्रकारकी वृत्तियोंकी ओर होता है। जिसलिये हमारी ताकत, शक्ति तथा दूसरे सब गुणोंकी प्रतिष्ठा या पतन हमारे द्वारा किये जानेवाले अिन गुणोंके सदुपयोग या दुरुपयोगमें निहित है।

जिसलिये हमें भाषाके आधार पर राज्योंकी पुनर्रचनाके प्रश्नको, तथा दूसरे किसी भी प्रश्नको, और राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्टमें की गयी सिफारिशोंको सच्ची दृष्टिसे और राष्ट्रके हितोंके व्यापक दृष्टिकोणसे देखना चाहिये। हमें अपने देशके जिस पहलू पर गहराअीसे तथा आत्म-निरीक्षणकी भावनासे विचार करना चाहिये। हमें आपसमें शान्त विचार-विनिमय करके अपने मत-भेदोंकी बारीक छानबीन करनी चाहिये तथा अेक-दूसरेको समझा-बुझाकर और मेल-मिलापकी भावनासे अणुहें दूर करना चाहिये। हमें

तुच्छ मतभेदों और लड़ाअी-झगड़ोंके शिकार नहीं बनना चाहिये। गंभीर मतभेद और दृष्टिभेद जरूर प्रकट करना चाहिये। अुससे कोअी हानि नहीं होगी। हरअेकको अैसा करनेका अधिकार है। लेकिन अैसा केवल अेक-दूसरेके विचारों और दृष्टिकोणके आदान-प्रदान और अणुकी जांचके लिये किया जाना चाहिये और वहीं तक अुसे सीमित रखना चाहिये; जिसके पीछे आपसी लड़ाअी-झगड़का, अेक-दूसरे पर दोषारोपण करनेका या ताना मारनेका हेतु नहीं होना चाहिये। अगर परस्पर प्रेम और सद्भावनाका अभाव हो तो हम अलग रह सकते हैं। लेकिन यह भी प्रेमके खातिर और स्नेहपूर्ण ढंगसे किया जाना चाहिये।

अितने बड़े और महत्त्वपूर्ण अुदाहरणोंके बारेमें हम स्पष्ट शब्दोंमें यह कहना चाहते हैं कि किसी तरह अुत्तेजित होने, भ्रममें पड़ने या आगापीछा करनेकी कोअी जरूरत नहीं है। भाअियो, भारतीयोंके नाते — अेक राष्ट्रके नाते — हमारी आन्तरिक शक्ति थोड़ी भी नहीं बढ़ेगी, अगर हम संकुचितता और अविवेकको अपने पर हावी होने देंगे।

हम यह कबूल करते हैं कि जब और जहां सरकारी कामकाज अैसी भाषामें चलता है जिसे प्रान्तके लोग समझते हैं, तब और वहां लोगोंको आसानी और सुविधा होती है। जब तक शासनका कामकाज अैसी भाषामें नहीं चलता जिसे किसान समझता है, तब तक अुसे स्वराज्यके आगमनका अनुभव नहीं हो सकता। जिसलिये हम भाषाके आधार पर राज्योंकी पुनर्रचनाको आवश्यक मानते हैं और अुसकी अुपयोगिता तथा महत्त्वको समझते हैं। लेकिन साथ ही हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि अुसके पीछे दिखावा और अभिमान ही ज्यादा है। परंतु हम इसके लिये अितना मिथ्या अभिमान क्यों करते हैं? जिसका मुख्य कारण यह है कि राज्योंकी पुनर्रचना करनेमें हमारे देशने पश्चिमके नमूनेकी नकल की है।

लेकिन हमें यह समझना चाहिये कि राज्य-पुनर्रचनाकी कल्पना कार्यदक्षतासे चलाये जानेवाले राजकाज और प्रान्तोंके कामकी सुव्यवस्थाकी व्यावहारिक दृष्टिसे ही की गयी है और इसी दृष्टिको सामने रखकर अुस पर अमल भी होना चाहिये। हमें सदाके लिये यह समझना और महसूस करना चाहिये कि हम विश्वके नागरिक हैं, भले हम कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों।

हमारा जो ध्येय और आकांक्षा थी, अुसके खिलाफ कमीशनकी रिपोर्टके परिणामों और प्रतिक्रियाओंने अैसा रूप और मोड़ लिया है कि हम, जो अपनी स्वतंत्रताकी अनोखी लड़ाअीके जमानेमें भारतीयोंके नाते अेक हो गये थे, आज प्रान्तीय बन गये हैं, हमारे हृदय अत्यन्त संकुचित हो गये हैं।*

(अंग्रेजीसे)

* आन्ध्रमें आंध्र-अुत्कलकी सीमा पर ता० १-१०-५५ को, चिपुरपल्लुमें ता० १६-१०-५५ को, विशाखापट्टनमें ता० २७-१०-५५ को और कट्टिपुडीमें ता० ७-११-५५ को दिये गये श्री विनोबाके प्रार्थना-प्रवचनोंसे संग्रहित।

विषय—सूची	पृष्ठ
राज्य-संविधान और अीश्वर	मगनभाई देसाई ३३७
बोधगयाका समन्वय आश्रम	विनोबा ३३८
यंत्रोद्योगों और हाथ-अुद्योगोंके बीच होड़	मगनभाई देसाई ३४०
युनिवर्सिटी शिक्षणका स्तर	मगनभाई देसाई ३४१
आजके भारतमें भूदानका कार्य	सुरेश रामभाजी ३४२
राज्य-पुनर्रचना कमीशन और हमारी जनताकी आत्मा	विनोबा ३४३
टिप्पणी :	
तेलघानी और तेलमिल	म० प्र० ३३९